तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./5594/2005/राजसमन्द</u>** **मोहनदास बनाम मोती लाल व अन्य**	
14-10-19	**<u>एकल–पीठ</u>** **श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री अशोक अग्रवाल अभिभाषक प्रार्थी श्री पी.एस.दशौरा अभिभाषक अप्रार्थी **<u>निर्णय</u>** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द के आदेश दिनांक 25–7–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। जिसके द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 10जाब्ता दीवानी खारिज किया गया है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि इन्ही आराजियात के सम्बन्ध में एक वाद वादी मोती लाल व प्रतिवादी संख्या 2 व3 के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित है। वर्तमान वाद बाद में दिनांक 12–10–99 को पेश हुआ है इस प्रकार वाद संख्या 2/97 इस वाद के पहले का है। दोनो वादों की विषय वस्तु एक है दोनों वाद एक ही आराजियात बाबत है, पक्षकार भी करीब करीब समान हैं। वाद संख्या 2/97 के लम्बित रहते वाद संख्या 81/99 में कानूनन कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 10 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों की अनदेखी कर आक्षेपित आदेश पारित किया है। इसलिये निगराधीन आदेश निरस्त योग्य है। जबाब में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि दोनें वादों के तथ्य भिन्न हैं तथा पक्षकार भिन्न हैं इसलिये धारा 10 जाब्ता दीवानी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधिसम्मत है निगरानी खारिज की जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	<u>निगरानी/टी.ए./5594/2005/राजसमन्द</u> **मोहनदास बनाम मोती लाल व अन्य**	
	हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का है। बाद में प्रस्तुत किया गया वाद खातेदारों के मध्य विभाजन के लिये प्रस्तुत किया गया है। दोनों ही वादों की प्रकृति में अन्तर है तथा पक्षकारों में भी भिन्नता है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी मोहन दास ने इसी विषय वस्तु से सम्बन्धित वाद प्रार्थी द्वारा अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक राजसमन्द के न्यायालय में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जो दिनांक 31–5–2006 को निर्णित किया जाकर खारिज हो चुका है। इसलिये धारा 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के तहत रेसजुडिकेटा से प्रभावित होने के कारण वाद को सहायक केक्टर राजसमन्द द्वारा खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अब यह निगरानी पोषनीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सतीश चन्द्र गोदारा)** **सदस्य**	